फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती हुडी — विपक्षी : श्री भंवरू

किस्म मुकदमा – 88, 188 रा0का0अ0 — पत्रावली संख्या : 101/12

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक :– 28.08.2023	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीया का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5/1 से 5/2 द्वारा उपस्थित होकर वादीया के वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादीया द्वारा पैतृक सम्पति में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीया द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, 2, पर्चा खतौनी प्रदर्श 3 से 5, सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 6 से 11, खसरा मिलान पत्रक प्रदर्श 12 से 14 पेश किये। वादीया द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य वादीया शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती हुडी, पीडब्ल्यू 2 श्री पुरण के पेश किये। वादपत्र के अवलोकन से मौजा काटका कुआ पटवार हल्का महाराज की खेडी के साबिक नम्बर 1750, 1756, 1753, 1535, 1566, 1574, 1755 थे जिसके नये नम्बर 1750 के 872, आ.न. 1756 के 848, आ.न. 1753 के 851, आ.न. 1535 के 588 से 592, आ.न. 1566 के 625, 626, आ.न. 1574 के 648 से 650, आ.न. 1755 के 850 बने। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आ.न. 648 से 650, 848, 872 प्रतिवादी सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं. 3 के पति एवं अन्य सहखातेदार के नाम, आ.न. 851 प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 6, प्रतिवादी सं. 3 के पति के नाम एवं अन्य सहखातेदार के नाम, आ.न. 588 से 592, 625 से 626, 850 प्रतिवादी सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं. 3 के पति एवं अन्य खातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 5 फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 5/1 व 5/2 है। खातेदार नवली फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1, 2 हैं। मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 707, 708, 833, 834, 843 प्रतिवादी सं. 1 से 3 के मौरूस के नाम दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम दर्ज थी, जो दस्तावेज से स्पष्ट होता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादीयां के वाद का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादीयां के वाद को बल मिलता हैं। वादीयां द्वारा अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक भूमि होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां पैतृक सम्पति के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 707, 708, 833, 843, 834 भूमि में खातेदार दुदा पिता प्रथा व मेगा पिता प्रथा के हिस्से में से वादीयां को 1/4 हिस्से का एवं मौजा काटका कुंआ पटवार हल्का महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर की आराजी नम्बर 851 भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 6, खातेदार नवली एवं दुदा के हिस्से में से वादीयां को 1/20 हिस्से, आ.न. 872, 848 भूमि में प्रति. सं. 1, 2 व खातेदार दुदा व नवली के हिस्से में से वादीयां को 1/4 हिस्से का, आ.न. 588 से 592, 625, 626, 648 से 650, 850 भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार नवली व दुदा के हिस्से में से वादीयां को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती हुडी पुत्री प्रथा पत्नी जगा डांगी निवासी महाराज की खेडी हाल नेता का गुडा।

..................वादीयां

बनाम

1. श्री भंवरू पिता मेघा डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।
2. श्री पुरण पिता मेघा डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।
3. श्रीमती मोहनी पत्नी दुदा डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।
4. जेतीबाई पिता पुरा डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।
5. हीराबाई पिता पुरा डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर **फौत के बजाय :–**

5/1 श्री बाबुलाल पिता कुका डांगी निवासी नेता का गुडा तह. नाथद्वारा।

5/2 श्रीमती वालीबाई पत्नी मोता पुत्री कुका डांगी निवासी भीमल तह. मावली।

6. चम्पाबाई पिता पुरा डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।
7. पटवारी, पटवार हल्का महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।
8. पटवारी, पटवर हल्का नामरी तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
10. उप पंजीयक अधिकारी वल्लभनगर तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 101/12 (वाद) GCMS No. – 2012/00235

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 707, 708, 833, 843, 834 भूमि में खातेदार दुदा पिता प्रथा व मेगा पिता प्रथा के हिस्से में से वादीयां को 1/4 हिस्से का एवं मौजा काटका कुंआ पटवार हल्का महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर की आराजी नम्बर 851 भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 6, खातेदार नवली एवं दुदा के हिस्से में से वादीयां को 1/20 हिस्से, आ.न. 872, 848 भूमि में प्रति. सं. 1, 2 व खातेदार दुदा व नवली के हिस्से में से वादीयां को 1/4 हिस्से का, आ.न. 588 से 592, 625, 626, 648 से 650, 850 भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार नवली व दुदा के हिस्से में से वादीयां को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.08.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested